

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अरवा राजकमल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

राँची, दिनांक- / /2024 ई०।

विषय :-

L.P.A No.-640/2022 (The State of Jharkhand-Vrs. Manti Devi@Manti Singh) वाद में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में बंदी परमजीत सिंह के विधिक आश्रित/निकटतम परिजन, श्री विजय कुमार सिंह/श्री उदय सिंह/श्री किशोर कुमार सिंह एवं श्री सत्येद्र कुमार सिंह को समानुपातिक रूप से रू० 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) मात्र का आवंटन के संबंध में।

महाशय,

इस विभाग के स्वीकृत्यादेश सं०-535, दिनांक 28.02.2024 के आलोक में अनुग्रह-अनुदान राशि के भुगतान हेतु निम्नानुसार रू० 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) मात्र की राशि आवंटित की जाती है :-

क्र०	नाम	वर्तमान पता	राशि (रू० में)
1.	विजय कुमार सिंह, पे०-स्व० रामनरेश सिंह	ग्राम-दद्यपी, थाना-मदनपुर, जिला-औरंगाबाद, बिहार।	1,25,000 /-
2.	उदय सिंह, पे०-स्व० रामनरेश सिंह	म०स०-41, कालिकानगर, मानगो, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	1,25,000 /-
3.	किशोर कुमार सिंह, पे०-स्व० रामनरेश सिंह	आत्मा सिंह बिल्डिंग, गुरुद्वारा रोड, मानगों, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	1,25,000 /-
4.	सत्येद्र कुमार सिंह, पे०-स्व० रामनरेश सिंह	प्लैट नं०-832, आसियाना अंतारा, मानगो, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर	1,25,000 /-
कुल:-			5,00,000 /-

(पाँच लाख रुपये) मात्र

2. उपरोक्त राशि वित्तीय वर्ष 2023-24 के स्थापना व्यय बजट शीर्ष-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-200-अन्य कार्यक्रम-05-दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत-06-अनुदान-49-आर्थिक सहायता, विपत्र कोड-22S22356020005000649 अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे।

4. उक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से की जाएगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खर्च का अभिश्रव संघारित करेंगे और व्यय का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराकर प्रतिवेदन गृह विभाग के बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आवंटित राशि का विचलन अन्य कार्यों के लिए नहीं करेंगे तथा खर्च न होने वाली (बचत की) राशि को इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व प्रत्यर्पित करने की कार्यवाई करेंगे।

7. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि० (2), दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

कृ०पृ०उ०

8. राशि की निकासी में झारखण्ड कोषागार संहिता 2016 के नियम 74 का अनुपालन सख्ती से किया जाएगा।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी आश्रित को भुगतान की गयी राशि से संबंधित महालेखाकार (ले० एवं हक०), झारखण्ड को विहित प्रपत्र में प्रेषित उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि गृह विभाग को अविलंब प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।


विश्वासभाजन,

ह०/-
(अरवा राजकमल)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - 04/अनु०अनु० (2235)/802/2023/ राँची, दिनांक- / /2024 ई०।
प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक - 04/अनु०अनु० (2235)/802/2023180.../ राँची, दिनांक- 15/03 /2024 ई०।
प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/जोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-11, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार


Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)

चाहू वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 4/AA2235/802/23/180

दिनांक - 15-Mar-2024

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 22 22356020005000649 2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण 60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 200 - अन्य कार्यक्रम 05 - दंगा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत 00-NA 06 - अनुदान Establishment Expenditure State Scheme : NA Central Scheme : NA	94328	JSRDAD041 DHANANJAYA NAZARAT DY.COLLECTOR JSR. 49 - आर्थिक सहायता	500,000.00 रुपये पाँच लाख



योग: रुपये पाँच लाख

500,000.00

क्रमिक योग:

(ARAVA RAJKAMAL)
SECRETARY